निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बालूराम पुत्र कल्याण, जाति जाट, निवासी सूरजपुरा उर्फ टूटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर।
2. सरिता शर्मा पत्नी श्री गोपाल राम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी 6/33, रजत विहार, दादी का फाटक के पास, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. हेमलता शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी 1–ए, प्रताप नगर–2, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
4. शैलेष शर्मा पत्नी श्री सुनील कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी फार्म पाखर–प्रथम, तहसील महवा, जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

5. सुरेश चौधरी पुत्र श्री बालूराम
6. सीमा चौधरी पुत्री श्री बालूराम
7. बदाम देवी पतनी श्री बालूराम

समस्त जाति जाट, निवासी सूरजपुरा उर्फ टूटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 64/2024 व अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 46/2024 ब–उनवानी सुरेश बनाम बालूराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री दिग्विजय सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 27.05.2025**

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 64/2024 व अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 46/2024 ब–उनवानी सुरेश बनाम बालूराम दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना प प्रस्तुत किया था जो दिनांक 29.04.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुये स्वीकार कर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

लिया गया जबकि अप्रार्थीगण आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्षकार बनने के पश्चात प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी की अब हम तुम्हारे पुत्रो द्वारा तुम्हारे विरूद्ध किये गये वाद में व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र में अपने राजनैतिक व व्यवसायिक पहूंच से हमारी सुविधा अनुसार निर्णय पारित करवाकर तुम्हारी जमीन को मनचाहे राशि में बेचने को विवश कर देगें, साथ ही अप्रार्थीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर वाद में पक्षकार बनने का हवाला देते हुये गलत प्रथम दृष्टया रिपोर्ट भी पुलिस थाना चाकसू में दर्ज करवा दी है। अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत करके उक्त प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहते है तथा पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को धमकी देते है कि हमारी साहब से बात हो गयी है और साहब ने वाद हमारे अनुसार फैसल करने की बात कही है तथा प्रकरण में अब हम हमारे पक्ष में फैसल करवा कर रहेगें। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अपने राजनैतिक पहूंच के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 पर अनैतिक दबाव बना कर प्रार्थी जो कि भूमि का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है को इन अनैतिक कृत्यों के द्वारा अपनी भूमि का मन चाहे दामों में अप्रार्थी 2 से 4 के पक्ष में बैचान करने का दबाव बना रहे है। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि उक्त वाद पत्र का विचारण यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है तो प्रतिवादीगण व पीठासीन अधिकारी की आपसी सांठ–गांठ व मिली भगत के आधार पर प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की संभावना शेष नहीं रही है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner